जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 04.12.2024**

प्रेस नोट

एसओजी टीम शामली व थाना थानाभवन पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना थानाभवन एवं थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत चोरी की घटनाओं को कारित करने वाले 04 अंतर्राज्यीय चोर पुलिस मुठभेड के दौरान एवं 01 अन्य अभियुक्त सहित कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार, जिसमें पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में 02 चोर घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 02 तमंचे 315 बोर मय कारतूस, 01 मोबाइल फोन, आभूषण(सफेद व पीली धातु) गैस कटर व तारकटर,व 99,000 रुपये की नगदी व चोरी की घटनाओ में प्रयुक्त कैंटर ट्रक बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 16.10.2024 को थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हिण्ड निवासी मकसूद राणा पुत्र यासीन की ऑटो रिपेरिंग सैन्टर की दुकान से चार्जर लेने के लिए आये अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मौका पाकर दुकान के गल्ले से 25000 की नगदी चोरी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर अज्ञात के विरुद्ध तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसी प्रकार थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंजीठ में अलग अलग स्थानो पर हुई चोरी की घटना के आनवरण हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना के आनवरण एवं माल बरामदगी हेतु अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक थानाभवन/ कैराना को निर्देशित किया गया था।

इस क्रम में दिनाँक 03.12.2024 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम द्वारा चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं की रोकथाम एवं घटनाओ के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल निर्देशन/पर्यवेक्षण में एसओजी शामली एवं थाना थानाभवन पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गोसगढ़ के जंगल में हुई मुठभेड़ में थाना थानाभवन व थाना कैराना के ग्राम पंजीठ में हुई चोरी घटनाओं में वांछित 04 अभियुक्तगण 1.समीर पुत्र नसीर निवासी मौहल्ला दरबरखुर्द कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली 2.नासिर पुत्र अख्तर निवासी कंकरकुई थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर 3.समर पुत्र इलियास निवासी 15 फुट्टा रोड कस्बा व थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर 4.मोनू पुत्र रमेश निवासी ग्राम टिटौली थाना आदर्शमंडी जनपद शामली को गिरफ्तार किये जाने की महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में 1.समीर पुत्र नसीर निवासी मौहल्ला दरबरखुर्द कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली 2.नासिर पुत्र अख्तर निवासी कंकरकुई थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर घायल हुए है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों के कब्जे से अवैध 02 तमंचे 315 बोर मय 02 खोखा व 04 जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 मोबाइल फोन, 02 अंगूठी व 01 हार (पीली धातु), 02 जोडी पाजेब (सफेद धातु), गैस कटर व तारकटर (हाथवाला),व 99,000 रुपये की नगदी व चोरी की घटनाओ में प्रयुक्त कैंटर वाहन(ट्रक) बरामद हुए है। आज दिनांक 04.12.2024 को अभियुक्तगणों के साथी एवं मुकदमा उपरोक्त एवं चोरी की घटनाओं में वांछित अभियुक्त **नीरज पुत्र राजवीर निवासी ग्राम फुगाना थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।** अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना थानाभवन व थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घायल अभियुक्तगण को बाद उपचार एवं अन्य अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

।

घटना का उद्देश्य- गिरफ्तार अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि हम आपस में एक दूसरो को पहले से जानते है तथा अपने शौक पूरे करने के उद्देश्य पहले भी हम लोग मिलकर चोरी की घटना कर चुके है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु हम लोगों ने माह अक्टूबर में बूढा बाबू पार्क के सामने रोड़ के किनारे ऑटो स्पेयर रिपेरिंग सैन्टर की दुकान से नगदी चोरी की थी तथा नवम्बर में हम लोगों ने मिलकर ग्राम पंजीठ से एक आश्रम व अन्य मकानों से नगदी व सफेद व पीली धातु के जेवर चोरी किये थे। आज पुनः हम लोग चोरी करने के उद्देश्य से थानाभवन जा रहे थे। हम लोगों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.समीर पुत्र नसीर निवासी मौहल्ला दरबरखुर्द कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली। (घायल)
2.नासिर पुत्र अख्तर निवासी कंकरकुई थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर। (घायल)
3.समर उर्फ सनव्वर पुत्र इलियास निवासी 15 फुट्टा रोड कस्बा व थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।
4.मोनू पुत्र रमेश निवासी ग्राम टिटौली थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।
5.नीरज पुत्र राजवीर निवासी ग्राम फुगाना थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त समीर उपरोक्तः-

1.मु0अ0स0 230/2023 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना काधला जनपद शामली
2.मु0अ0स0 465/2022 धारा 380/411/459 भादवि थाना काधला जनपद शामली
3.मु0अ0स0 01/2024 धारा 414 भादवि थाना बाबरी जनपद शामली।
4.मु0अ0स0 02/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बाबरी जनपद शामली।
5.मु0अ0स0 177/2020 धारा 11(1)(1) पशु क्रुररता अधि0 व 34/380/411/459 भादवि थाना बाबरी जनपद शामली।
6.मु0अ0स0 176/2020 धारा 307 भादवि थाना बाबरी जनपद शामली।
7.मु0अ0स0 50/2009 धारा 363/366 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
8.मु0अ0स0 71/2009 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कैराना जनपद शामली ।
9.मु0अ0स0 69/2009 धारा 307 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
10.मु0अ0स0 72/2010 धारा 3 यू0पी गुण्डा अधि0 थाना कैराना जनपद शामली।
11.मु0अ0स0 101/2009 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना कैराना जनपद शामली।
12.मु0अ0सं0 464/2024 धारा 109(1)/3(5)/3/25/27 आयुध अधिनियम थाना थानाभवन जनपद शामली।
11.मु0अ0सं0 657/24 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली।
12.मु0अ0सं0 658/24 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली।
13.मु0अ0स0 407/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना थानाभवन जनपद शामली।
14.मु0अ0सं0 464/24 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना थानाभवन जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नासिर उपरोक्तः-

1.मु0अ0स0 135/2020 धारा 342 भादवि व 137 विद्युत अधि0 थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
2.मु0अ0स0 298/2020 धारा 136/137 विद्युत अधि0 थाना थानाभवन जनपद शामली।
3.मु0अ0स0 350/2020 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।
4.मु0अ0स0 354/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना थानाभवन जनपद शामली।
5.मु0अ0स01741/2019 धारा 136/137 विद्युत अधि0 थाना कोतवाली जनपद शामली।
6.मु0अ0स0 368/2023 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामली।
7.मु0अ0स0 392/2023 धारा 136/137 विद्युत अधि0 थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
8.मु0अ0स0 484/2023 धारा 380/411/457 भादवि व 136/137 विद्युत अधि0 थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
9.मु0अ0स0 31/2020 धारा 136/137 विद्युत अधि0 थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

10.मु0अ0स0 407/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना थानाभवन जनपद शामली।
11.मु0अ0सं0 657/24 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली।
12.मु0अ0सं0 658/24 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली।
13.मु0अ0सं0 464/24 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना थानाभवन जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त समर उर्फ सनव्वर उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 657/24 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली।
2.मु0अ0सं0 658/24 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली।
3.मु0अ0सं0 464/24 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना थानाभवन जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मोनू उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 657/24 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली।
2.मु0अ0सं0 658/24 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली।
3.मु0अ0सं0 464/24 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना थानाभवन जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नीरज उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 657/24 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली।
2.मु0अ0सं0 658/24 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली।
3.मु0अ0स0 407/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 02 अद्द तमंचे 315 बोर मय 02 खोखा व 04 जिंदा कारतूस 315 बोर।
2.एक मोबाइल फोन पोको कम्पनी।
2.आभूषण 02 अंगूठी व 01 हार (पीली धातु), 02 जोडी पाजेब (सफेद धातु)।
3.गैस कटर 01 व तारकटर 01 (हाथवाला)।
4.नगदी 99,000 रुपये (अलग अलग चोरी की घटनाओ से सम्बन्धित)।
5.चोरी की घटनाओ में प्रयुक्त कैंटर वाहन (ट्रक) अशोक लेलैंड रजि न0 UP 12 CT 8271 ।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लाए "थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत घर के मकान का ताला तोड़कर जेवरात व नगदी चोरी के सम्बन्ध" वांछित 02 अभियुक्तों की निशादेही पर चोरी की गई 02 जोडी पायल, 19 सिक्के (सफेद धातु) व 8000/- रुपये की नगदी बरामदः-

विदित हो कि दिनांक 05.11.2024 को वादी श्री राजकुमार सिंह चौहान पुत्र मुखत्यार निवासी विकास नगर झिंझाना रोड़ थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के द्वारा अज्ञात के विरुद्ध तहरीर दाखिल की गयी । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्तगण 1.इरशाद उर्फ लड्डू पुत्र शहीद निवासी गली नं0 7 किदवई नगर,मक्की मस्जिद के पास थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर 2.अंकुर उर्फ पंकज पुत्र महावीर निवासी नसौली उर्फ बासोली थाना रमाला जनपद बागपत को दिनांक 18.11.2024 को जनपद सहारनपुर द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । गिरफ्तारी के दौरान थाना कोतवाली शामली क्षेत्र की चोरी की घटना को अंजाम देना बताया । जिसके बाद विवेचनाक्रम में जिला कारागार सहारनपुर जाकर अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी । जिन्होने थाना कोतवाली शामली क्षेत्र की घटना मे चोरी किये गये माल की बरामदगी करवाने हेतु कहा । इसी क्रम में माननीय न्यायालय से उपरोक्त अभियुक्तगण की पीसीआर प्राप्त कर दोनो अभियुक्तगण की निशादेही पर अभियुक्त इरशाद उर्फ लड्डू की निशादेही पर 09 सिक्के व एक जोडी पायल (सफेद धातु) इरशाद के घर से बरामद किये गये । 2.अभियुक्त अंकुर की निशादेही पर एक जोडी पायल, 10 सिक्के सफेद धातु व आठ हजार रुपये अभियुक्त अंकुर के गांव नासौली उर्फ बासोली से कोल्हू से बरामद किये गये । बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रहे है ।

नाम व पता अभियुक्तगण-

1.इरशाद उर्फ लड्डू पुत्र शहीद निवासी गली नं0 7 किदवई नगर,मक्की मस्जिद के पास थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर ।

2.अंकुर उर्फ पंकज पुत्र महावीर निवासी नसौली उर्फ बासोली थाना रमाला जनपद बागपत ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 631/2024 धारा 331(2)/305(a) बीएनएस थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

अभियुक्तगण की निशादेही पर बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी के 09 सिक्के व एक जोडी पायल (सफेद धातु) ।

2.चोरी के 10 सिक्के व 01 जोडी पायल(सफेद धातु) ।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम झाल में जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 02.04.2024 को श्रीमती पूनम पत्नी श्री राजेन्द्र निवासी ग्राम झाल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली नें अपने पति व पुत्र पर अभियुक्तगण द्वारा जानलेवा हमला करने जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 04.12.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा ग्राम झाल में जानलेवा हमला करने के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.प्रदीप कुमार पुत्र राकेश कश्यप निवासी ग्राम झाल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 06 अलग-अलग मामलों में 05 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 14,050/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1.वर्ष 2017 में अभियुक्त नौशाद पुत्र सगीर निवासी मौ0 पीरजादगान कस्बा व थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध थाना थाना गढीपुख्ता पर मु0अ0सं0 301/17 धारा 11घ पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 04.12.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना,शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त पर 50/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

2.वर्ष 1994 में अभियुक्त सुरेश पुत्र जिले सिंह निवासी तितरौदा जनपद बागपत के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 221/94 धारा 394/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 04.12.2024 को माननीय न्यायालय कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 12 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.वर्ष 2016 में अभियुक्त इन्द्रपाल पुत्र प्रकाश निवासी ककडीपुर थाना रमाला जनपद बागपत के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 553/2016 धारा 323/324/294 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 04.12.2024 को एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 04 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4.वर्ष 2016 में अभियुक्त ताहिर पुत्र रफीक निवासी रामडा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 247/16 धारा 174ए भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांकि 04.12.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना,शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

5.वर्ष 2004 में अभियुक्त युसुफ पुत्र यामीन कुरैशी निवासी टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 164/04 धारा 3/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांकि 04.12.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/जेएम कैराना,शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

6.वर्ष 2006 में अभियुक्त युसुफ पुत्र यामीन कुरैशी निवासी टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 629/06 धारा 324/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांकि 04.12.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/जेएम कैराना,शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.नौशाद पुत्र सगीर निवासी मौ0 पीरजादगान कस्बा व थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
2.सुरेश पुत्र जिले सिंह निवासी तितरौदा जनपद बागपत।
3.इन्द्रपाल पुत्र प्रकाश निवासी ककडीपुर थाना रमाला जनपद बागपत।
4.ताहिर पुत्र रफीक निवासी रामडा थाना कैराना जनपद शामली।
5.युसुफ पुत्र यामीन कुरैशी निवासी टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI